

2021/6

फार्म नं. 111

फर्ड अहकाम

(नियम 26)



अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आबूपर्वत

| | | |
|--|-------------|---|
| <p>वादी मंगला पुत्र चमना नील माण्डुल</p> | <p>बनाम</p> | <p>प्रतिवादी ① श्रीमती पद्मिनी व/० सुरा नील २१०- माण्डुल व अज - ५</p> |
|--|-------------|---|

राजस्व वाद - संख्या 5 / 2021

सम मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 201 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 9/2/21

| व्र | हुक्म या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख |
|-----|---|---|
| | <p>9/2 यह राजस्व वाद वादी - की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53, 201 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। अतः यह राजस्व वाद का पंजीयन किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन / नोटिस जारी किये जावें।</p> <p>पत्रावली आयन्दा तामिली हेतु दिनांक 25/2/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर आबूपर्वत </p> <p> श्रीमती पद्मिनी व/० सुरा प्रतिवादी सं. 1, 4, 5, 6 की तामिली पेश प्रतिवादी सं. 2, 3 के नोटिस लेने से इनकार किया। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से नोटिस पेश करने का कामनाप पत्रावली आयन्दा तामिली हेतु दिनांक 25/2/21 को पेश हो। प्रतिवादी सं. 2, 3 के नोटिस लेने से इनकार किया। </p> | <p style="text-align: center;">(1104)</p>  |

मि 3/2/21

सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत

17 $\frac{3}{21}$

पत्रावली पेश हुई। बाकी अधि. एवं
उतिवादी अधि. अनुपलित। दोनों
पत्रकारान को रुक-रुक कर तीन-तीन
बार आवाज लगाई गई। इसके बावजूद
दोनों पत्रकारान अनुपलित।

अतः वाद को अदम पर्या अदम
दाजरी में जोरिज किया जाता है।

पत्रावली केवल शुमार होकर
नंबर ले कम है।

१२

सहायक सचिव

बाबू-सचिव